उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध)
संख्या: 7/2015/560/बीस-13-वि-2015-4(विविध)/13
लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2015

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

जैसा कि आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-419/बीस-13-वि-2014-4(विविध)/13, दिनांक 18 फरवरी, 2014 द्वारा शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इण्टरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्था दिनांक 01 मार्च, 2014 से उ. प्र. सचिवालय के सभी विभागों में लागू की गयी है। शासकीय पत्राचार में विभिन्न प्रकार के रूप पत्रों के प्रयोग के दृष्टिगत ऑनलाइन जारी किये जाने वाले आदेशों/शासनादेशों के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1102/बीस-13-2014-4(विविध)/13-टीसी-3, दिनांक 07 मई, 2014 द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी है एवं वेबसाइट पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने वाले आदेशों/शासनादेशों के विषयों को इंगित किया गया है।

2- जन सामान्य तक नीतिगत आदेशों की जानकारी प्रदान करने व शासकीय कार्य के प्रभावी निस्तारण हेतु नीतिगत शासनादेश संकलित रूप में उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01 मार्च, 2014 से पूर्व जारी ऐसे नीति विषयक/महत्वपूर्ण शासनादेश, चाहे वो कितने भी पुराने हों परन्तु जो वर्तमान में प्रभावी हैं और पूर्व में ई-संग्रह की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किये गये हैं, को भी स्कैन कर ई-संग्रह की वेबसाइट http://esangrah.up.nic.in/intra पर अपलोड करा दिया जाय। अपलोड कराये जाने वाले शासनादेशों हेतु विभागीय पत्रावली पर कम से कम विशेष सचिव स्तर के अधिकारी का अनुमोदन अवश्य ले लिया जाये ताकि विभागीय स्तर पर कोई संशय की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

3- दिनांक 01 मार्च, 2014 से पूर्व के नीति विषयक/महत्वपूर्ण आदेशों को ई-संग्रह की वेबसाइट http://esangrah.up.nic.in/intra पर अपलोड किये जाने का कार्य सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत स्थापित "ऑनलाइन शासनादेश प्रकोष्ठ" के द्वारा किया जाएगा। यह कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मई, 2015 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

4- सभी विभागों के स्तर पर इस कार्य हेतु एक नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाए ताकि निर्धारित समयान्तर्गत उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जाए। सचिवालय प्रशासन विभाग के स्तर पर इस कार्य के अनुश्रवण हेतु श्री वी. के. सिंह, अनुसचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग नोडल अधिकारी नामित हैं।

(प्रभात मित्तल)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृष्ठांकन संख्या: 7/2015/560/बीस-13-वि-2015-4(विविध)/13, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री अजय गोपाल, तकनीकी निदेशक, NIC, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेशों को वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु ई-संग्रह की वेबसाइट को शुरू करवाने का कष्ट करें।

2- श्री खान मु. आसिफ खॉ, तकनीकी सलाहकार, सचिवालय प्रशासन विभाग, बहुखण्डी भवन, सचिवालय।

3- गार्ड फाइल।

(वी. के. सिंह)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।